उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार

पत्रांकः 01/26/APS-Shorthand-Exam/G-1/2024-25 **दिनांकः 06 अप्रैल, 2026**

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अपर निजी सचिव परीक्षा–2024 के अन्तर्गत आशुलेखन परीक्षा के संबंध में कतिपय प्रार्थीगण द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये, जिनके सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा विचारोपरान्त निम्नवत् प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिये गये हैं–

क्र. सं0	प्रार्थीगण का विवरण	प्रार्थीगण का कथन	निस्तारण आदेश
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.	कु0 सपना (अनु0–101328) श्रीमती ऋतु कण्डारी (अनु0–106078)श्री श्री मेजर सिंह (अनु0–109214) श्री नितिन मौर्य (अनु0–103596) श्री मुकेश जोशी (अनु0–102878) श्री कमल सिंह (अनु0–103285) कु0 विजेता (अनु0–100304) कु0 सुरभि खत्री (अनु0–101352) श्री विकाश डंगवाल (अनु0–103193) शाहनवाज (अनु0–104540) श्री सोनू सिंह (अनु0–105081) शमा प्रवीन (अनु0–101520)	प्रार्थीगण का कथन है कि अपर निजी सचिव परीक्षा–2024 के अन्तर्गत आशुलेखन परीक्षा परिणाम दिनांक 03.02.2026 में उनका अनुक्रमांक नहीं है, जबकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वे आशुलेखन परीक्षा में सफल हो जाऐंगे जिबकि उक्त परीक्षा परिणाम में उन्हें असफल घोषिम किया गया है। उक्त के क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आशुलेखन परीक्षा से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं एवं लिप्यांतरण का पुनर्मूल्यांकन कराते हुए अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।	अपर निजी सचिव परीक्षा–2024 के सापेक्ष आशुलेखन परीक्षा परिणाम दिनांक 03.02.2026 को जारी किया गया। चूँकि **अपर निजी सचिव परीक्षा–2024 के अन्तर्गत हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश** के बिन्दु संख्या–09 में निम्नवत् उल्लेख हैः– **''डिक्टेशन में बोले गये हिन्दी आशुलिपि के 400 शब्द तथा अंग्रेजी आशुलिपि के 500 शब्दों में 05 प्रतिशत अशुद्धियों की छूट दी जाऐगी। 05 प्रतिशत से अधिक अशुद्धि होने पर परीक्षार्थी को आशुलिपि परीक्षा में अनर्ह (Disqualify) माना जायेगा।''** उपरोक्त के क्रम में प्रार्थीगण की उत्तर पुस्तिकाओं एवं लिप्यांतरण का विषय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया गया। जिसमें 05 प्रतिशत से अधिक त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण की मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित नहीं किया गया है। 2– यह भी अवगत कराना है कि Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and conduct of Business) Rules-2013 के Chapter-iv बिन्दु सं0 31 के उपबिन्दु–7 में निम्नवत् उल्लिखित हैः– (7) There shall be no provision for revaluation or re-scrutiny of the Answer Books of the Examinations conducted by the Commission. उपरोक्त प्राविधानान्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन या पुनः सन्निरीक्षा का कोई प्राविधान नहीं है। अतः उक्त के आलोक में प्रार्थीगण द्वारा प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

-Sd-

(अशोक कुमार पाण्डेय)
सचिव